


फर्द अहकाम
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

डिम्पी चौधरी **बनाम** **दिनेश कुमार आदि**

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 149/2019 सन-2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम का तामील मे जारी हुए
12.12.2019	<p>प्रार्थीगण/सायल की ओर से जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र पेश होने पर एक तरफा बहस प्रार्थना पत्र सायल अभिभाषक सुनी गई व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला सायल के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण/गैरसायल इस आशय की जारी की जाती है कि रोही मौजा ढाणी रायकान के खाता संख्या 244/156 के खसरा न0 1370 की 1.7320हैक खसरा न0 1371 की 7.5880हैक कुल 9.3200हैक भूमि में से सयुक्त तौर से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा , एवं रोही मौजा सिंगसर के खाता संख्या 305/312 के खसरा न0 81/4 की 2.4040हैक खसरा न0 1187/2 की 0.5060हैक खसरा न0 1274/4 की 8.3490हैक कुल तादादी 11.2590हैक भूमि में से सयुक्त तौर से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/2 हिस्सा में वादीगण के हक हिस्सा तक की भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाई रखी जावे यदि इस सम्वध में अप्रार्थीगण को कोई एतराज हो तो निर्धारित तिथि पर न्यायालय मे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे आगामी तिथि को अस्थायी निषेधाज्ञा बढ़ाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 29.01.2019 को पेश हो।</p> <p align="right">  सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर </p> <p> 29/12/20 वकील सायल उपर/गैरसायल उपर/नहीं वकील सायल न गैरसायल के राज. सम्मन की पी.ओ. स्टीड फलुत की है/गैरसायल/तलबी है/उ पत्रावली दिनांक 17-12-20 को पेश हो </p>	<p align="center">76 12/12/19 145</p>

